मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 20 नवंबर (ब्यूरो)।

राजधानी के मुखर्जी नगर स्थित बाल संरक्षण गृह में दो किशोरों के दूसरे सहवासी किशोरों द्वारा यौन उत्पीड़न की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। घटना की मीडिया में आई खबर का खद संज्ञान लेते हए आयोग ने यह कदम उठाया है। खबर में बताया गया है कि आरोपी किशोरों ने पीडितों को धमकी दी थी कि घटना का जिक्र किसी से किया तो जान खतरे में पड़ जाएगी। आयोग ने कहा है कि अगर घटना के तथ्य वाकई सही हैं तो यह मानवाधिकारों के हनन का गंभीर मामला है और गहरी चिंता का विषय है। इससे यह भी उजागर हुआ है कि जिन कानूनी संरक्षकों पर इन बच्चों की देखरेख का जिम्मा है वे अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में विफल रहे हैं। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से चार हफ्ते के भीतर इस मामले में तथ्यपूर्ण रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

आयोग ने जानना चाहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए। दो में से एक पीड़ित बच्चे ने संरक्षण गृह के अधिकारियों को घटना की सुचना दी थी। इसके बाद दूसरे पीडित किशोर ने भी शिकायत करने की हिम्मत दिखाई।

Tue, 21 November 2023

अनस्ता https://epaper.jansatta.com/c/73937816



मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुखर्जी नगर के बाल संरक्षण गृह में साथी कैदियों द्वारा दो किशोरों के कथित यौन उत्पीडन के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजा है। आयोग ने पाया कि अगर मामला सही है तो मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। घटना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अधिकारी, जो अपनी हिरासत में कैदियों के वैध संरक्षक हैं, किशोरों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। (जासं)

दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस आयुक्त को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुखर्जी नगर के बाल संरक्षण गृह में साथी कैदियों द्वारा दो किशोरों के कथित यौन उत्पीडन के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी की जानकारी में आया था कि दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के बाल संरक्षण गृह में बंद दो किशोरों का साथी कैदियों ने यौन शोषण किया। यही नहीं उन्हें अधिकारियों से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। आयोग ने पाया कि अगर मामला सही है तो मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। घटना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अधिकारी, जो अपनी हिरासत में कैदियों के वैध संरक्षक हैं, किशोरों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। (जासं)

NHRC notice to Delhi govt, police

STATESMAN NEWS SERVICE

NEW DELHI, 20 NOVEMBER

The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to Delhi's Chief Secretary and Police Commissioner over alleged sexual abuse of two juveniles by fellow inmates in a child protection home here.

Taking suo motu cognizance of a media report that two juveniles lodged in the child protection home in Mukherjee Nagar area were allegedly subjected to sexualabuse by fellow inmates, the rights body has sought a detailed report within four weeks in the matter.

The report should include the action taken against the officers concerned and the steps taken to ensure that such incidents do not recur in future, the NHRC said. The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights which is a matter of concern.

The reported incident apparently indicates that the authorities, who are the lawful guardians of the inmates in their custody, have failed to protect the juveniles, the NHRC said.

According to a media report, carried on November 20, one of the victims, despite the threats, informed one of the officers of the home regarding the alleged crime, the rights body said.

During investigation, another juvenile, aged 15 year, lodged in the shelter home also came forward and reported that he is being sexually abused inside the home, it added.